

परिशिष्ट-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2648
द्वारा माननीय विधायक - श्री राजन मण्डलोई

प्रतिष्ठान की निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	प्रतिष्ठान की निधि का क्षेत्र	क्षेत्रवार प्राप्त राशि	रिमार्क
(क)	प्रदेश के समस्त खनिज पट्टों के पट्टेदारों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों से किये गये भुगतान;	7878.455	
(ख)	अन्य जिला प्रतिष्ठानों से अंतरित की गयी कोई निधि;	-	
(ग)	समस्त प्राप्तियां तथा जिसमें उससे प्रोदभूत व्याज सम्मिलित है;	719.16	व्याज राशि 41 जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार है। शेष 14 जिलों से प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में राशि परिवर्तनीय है।
(घ)	किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन में प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किया गया स्वेच्छा अंशदान यदि, कोई हो;	-	
(ड.)	राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऋण/अनुदान तथा बजट प्रावधान।	-	
(च)	गौण खनिज के पट्टाधारी/नीलाम खदान धारक द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2019 में विहित की गई दर के अनुसार किया गया भुगतान।	313.420	जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत रेत से प्राप्त राशि म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा शीर्ष 0853 में जमा करायी जाती है।
	योग -	8911.035	



अवर सचिव
म. प्र. शासन
खनिज संचालन विभाग

परिशिष्ट ५

जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से अब तक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में उच्च प्राथमिकता क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	कुल व्यय राशि
उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60%)	
पेयजल	359.29
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय	124.18
स्वास्थ्य देखभाल	595.50
शिक्षा	744.25
महिला और बाल कल्याण	44.23
वृद्ध और विकलांग जनकल्याण	13.44
कौशल विकास	163.92
स्वच्छता	38.78
योग	2083.59
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (40%)	
भौतिक अवसंरचना	1027.28
सिंचाई	42.15
ऊर्जा और जलग्रहण विकास	69.12
खनन जिलों में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य कोई उपाय	54.48
योग	1193.03
कुल योग	3276.62


 अवर सचिव
 म. प्र. शासन
 खनिज साधन विभाग